सी0ए0नं0 8930/21, सत्यप्रतिलिपि, दांडिक प्रकरण कमांक–3296/21, पेशी दिनांक–28.10.21

न्यायालय–श्री पवन कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ0ग0)

पक्षकार– अभिनव शर्मा पिता आनंद शर्मा, स्थायी निवासी–प्लाट नं0 8, कृष्ण सखा सोसायटी रोहिणीपुरम, थाना डी. डी नगर, रायपुर छ0ग0 **बनाम** 1. आकांक्षा शर्मा पिता शिवराम प्रसाद शुक्ला, निवीस म0नं0 36, गीतांजली विहार, नेहरू नगर, बिलासपुर, 2. प्रशांत दुबे पिता गोपाल प्रसाद दुबे, 3. समीक्षा दुबे पिता प्रशांत दुबे, दोनो स्थायी पता–ए 6, नेहरू नगर, बिलासपुर, वर्तमान पता फ्लैट नं0 108, गरूणा ब्ला सम बसावंतपुरा रोड, के0 आर0 पुरम बेंगलुय, 4. मयंक शेखर पिता अनिल शर्मा, सीनियर मैनेजर, यूको बैंक, आवाबाई शॉपिंग सेंटर हालर, कास रोड बुलसर, जिला वलसाड, गुजरात, 5. शिवराम प्रसाद शुक्ल पिता स्व0 श्याम सुंदर निवासी म0नं0 36, गीतांजली विहार, नेहरू नगर, बिलासपुर (छ0ग0)

Order Sheet [Cont.]

COURT-PAWAN KUMAR AGRAWAL (JUDICIAL MAGISTRATE CLASS-1) RAIPUR

Date of Order of Proceeding	Order or Proceeding with Signature Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
16-09-2021	परिवादी द्वारा श्री संजय पोपटानी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण वास्ते पंजीयन पर आदेश हेतु नियत हैं। **<u>आदेश</u>** **<u>इस आदेश द्वारा परिवादी के परिवाद अंतर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 1973 अपराध अंतर्गत धारा 500/34 भा0द0सं0 पर प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त करने के उपरांत, पंजीयन पर आदेश किया जा रहा है।</u>** परिवादी ने परिवाद में व्यक्त किया है कि उसका विवाह प्रस्तावित आरोपी क्र. 01 के साथ दिनॉक 04.02.2018 को रायपुर में हुआं था। आरोपी क्रं. 01 के द्वारा श्रीमान कुटुंब न्यायायल में दिनॉक 07.03.2019 को धारा 125 द.प्र.सं. का आवेदन प्रस्तुत कर पैरा 13 व 17 में उसे गे/समलैंगिक होने का अरोप लगाया है तथा उसे शारीरिक संबंध में बनाने में अक्षम होना बताते हुए उक्त तथ्य छुपा कर विवाह कर धोके देकर जीवन बर्बाद करने का आरोप लगाया है। इसी प्रकार धारा 498ए भा0द0सं0 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय तथा विवेचना के दौरान कथन देते समय भी उपरोक्त बातो का उल्लेख कर आरोपीगण द्वारा उसकी मानहानी की गई। यह भी व्यक्त किया कि महिला थाना बिलासपुर के द्वारा शासकीय जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराने पर रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसके अनुसार ऐसा कोई साक्ष्य शारीरिक परीक्षण में नहीं पाया गया है जिसके अनुसार वह शारीरिक संबंध में बनाने में सक्षम नहीं है जबकि वे जानते है कि परिवादी में ऐसी कोई कमी नहीं है। आरोपीगण द्वारा एक राय होकर षडयंत्रपूर्वक उसे अपमानित कर मानहानि की गई है। यह भी व्यक्त किया कि आरोपी आकांक्षा ने विभिन्न दिनॉक पर उसके मित्रगण जिसके साथ वह कंपनी में काम कर रहा था उनके मोबाईल पर फोन करके उपरोक्त प्रकार की मानहानिक कारण बाते कही जिससे वह लोगो की नजर में गिर गया। आरोपीगण के उपरोक्त कृत्य से उसका समाज में जीना दुर्भर हो	

दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY भारत INDIA Rs.2
दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY भारत INDIA Rs.2

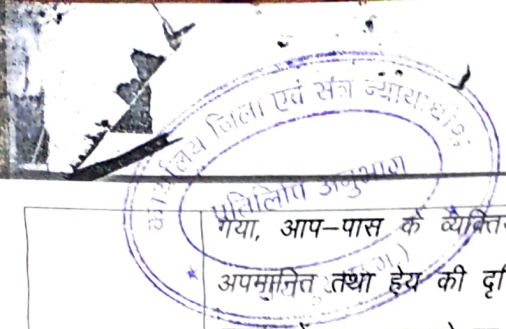

गया, आप–पास के व्यक्तियों तथा पहचान के व्यक्तियों एवं मित्रो के बीच उसे अपमानित तथा हेय की दृष्टि से देखा जाता है तथा उसे हेय की दृष्टि से देखा जाता है उक्त आधारो पर प्रस्तावित आरोपीगण के विरूद्ध धारा 500/34 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया है।

परिवादी ने परिवाद के तथ्यो के समर्थन में स्वयं के अतिरिक्त प्रारंभिक साक्ष्य के लिये अन्य साक्षी जीनल व्यास, दीपक वर्मा तथा दुर्गा प्रसाद का पंजीयन पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत किया है। परिवादी ने परिवाद का समर्थन करते हुए व्यक्त किया कि उस पर झूठे आरोप लगाये गये जिससे उसकी मानहानि हुई तथा अस्पताल में 10–12 लोगो के सामने उसे नंगा किया गया तथा उसके साथ अश्लील व अपमान जनक व्यवहार किया गया किंतु परीक्षण में उसे स्वस्थ व सक्षम पाया गया, उसने मुंबई के लीलावती अस्पताल में भी इस संबंध में जॉच कराई जिसमें वह स्वस्थ पाया गया।

अन्य साक्षीगण ने भी परिवाद के तथ्यो का समर्थन कर परिवादी को अपमानित आरोपी द्वारा करने तथा परिवादी की प्रतिष्ठा कम होने के संबंध में न्यायालय के समक्ष कथन किया है जिसका विस्तृत विवरण आवश्यक नहीं है।

परिवादी द्वारा परिवाद के समर्थन में परिवाद में दर्शित दस्तावेजो यथा धारा 125 द.प्र.सं. के आवेदन की प्रति, घरेलू हिंसा के आवेदन की प्रति, पुलिस को आरोपीगण के द्वारा दिया गया कथनो की प्रति, चिकित्सीय परीक्षण की मेडिकल रिपोर्ट, आरोपी क्रं. 01 के द्वारा परिवादी के मित्रो से की गई बातचीत का लिखित ब्यौरा मय सी.डी. प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी ने आरोपीगण के विरूद्ध धारा 500/34 भादसं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किये जाने की मॉग उपरोक्त आधारो पर की है। सर्वप्रथम संबंधित विधिक प्रावधान का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा–

भा0द0सं0 की धारा 499 के अनुसार " जो कोई बोले गये या पढ़े जाने को आशयित भाब्दो द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यारोपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन या दोशारोपण इस आश्य से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या यह जानते हुए या विश्वास करते का कारण रखते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी। एतस्मिन् प्श्चात् अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है।"

धारा 500– "जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा, वह

सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।''

विधिक प्रावधान के परिपेक्ष्य में परिवादी द्वारा प्रस्तुत बयान एवं दस्तावेजो को एकरूपता के साथ विचार किया जाए इस तथ्य को प्रथमदृष्टिया समर्थन प्राप्त होता है कि प्रस्तावित आरोपीगण के वक्तव्य मानहानिकारक वक्तव्य की श्रेणी के है जिससे परिवादी की प्रतिष्ठा को प्रथमदृष्टिया क्षति कारित होना परिलक्षित हो रही है क्योंकि उपरोक्त कथनो की प्रकृति ऐसी है जो कि दूसरो की दृष्टि में हेयपूर्ण है तथा क्षोभपूर्ण कथन है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिष्ठा का अधिकार जीवन का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 21 के पहलुओं में से एक है। प्रतिष्ठा जीवन की मुख्य जमा पूँजी एवं उसकी सुगंध है। निजी प्रतिष्ठा का अधिकार मानव समाज के लिए आवश्यक है इसलिए संविधान द्वारा इसे सुरक्षा प्रदान की गई है। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि आरोपीगण के द्वारा परिवादी को अपमानित करने हेतु उसके संबंध में अपमानजनक तथ्यो का प्रसार किया है जबकि परिवादी द्वारा मेडिकल रिपोर्ट उसके स्वस्थ होने का अनुमान स्पष्ट रूप से लगाया जा सकता है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण परिलक्षित नहीं है।

अतः विचारोपरांत प्रस्तावित आरोपीगण के विरूद्ध प्रथमदृष्टियॉ धारा 500/34 भा0द0सं0 के तहत कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध होना प्रतीत है। अतः उसके विरूद्ध धारा 204 द.प्र.सं. के अनुकम में परिवादी के परिवाद पर धारा 500/34 भा0द0सं0 के तहत मामला दर्ज कर संज्ञान में लिया जाता है।

धारा 204(2) द.प्र.सं. के तहत परिवादी उसके साक्षियो की सूची लिखित रूप में पेश करने तथा उसके द्वारा तीन दिवस के भीतर **आदेशिका शुल्क अदा** किये जाने पर प्रस्तावित आरोपीगण की उपस्थिति हेतु समन/नोटिस जारी किया जावें तथा **धारा 204(3) द.प्र.सं. के तहत समन के साथ परिवाद की प्रतिलिपि मय दस्तावेजो के संलग्न** की जावें।

प्रकरण वास्ते साक्ष्य सूची एवं आदेशिका शुल्क अदा किये जाने पर प्रस्तावित आरोपीगण की उपस्थिती हेतु समन जारी किये जाने हेतु नियत दिनॉक– 28.10.21

N.F.
28/10

P.K. AGRAWAL
JMFC-RAIPUR

सत्य-प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार,
जिला एवं सत्र न्यायालय
रायपुर (छ.ग.)

कोर्ट फी COURT FEE 2 रु. Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

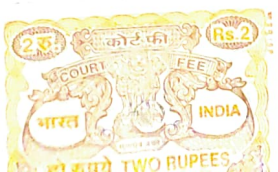

Date	Particulars
20/9/24	1. Application Received on
23/9/24	2. Applicant told to appeared on
23/9/24	3. Applicant appeared on
20/9/24	4. Appliation (With or without further or correct particulars sent to Record Room) on
23/9/24	5. Application received from Record Room (with recard or without record or without record for further or correct particuiers) on
	6. Applicant given notice for further or correct particulars on
	7. Applicant Given notice for further funds on
	8. Notice columa 6 or 7 compl!
23/9/24	9. Copy ready on
23/9/24	10. Copy delivered or sent on
	[illegible]

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रतिलिपि अनुभाग
रायपुर (छ.ग.)

सी0ए0न0 8930/21, सत्यप्रतिलिपि, दांडिक प्रकरण कमांक–3296/21, पेशी दिनांक–28.10.21

न्यायालय–श्री पवन कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ0ग0)

पक्षकार– अभिनव शर्मा पिता आनंद शर्मा, स्थायी निवासी प्लाट नं0 8, कृष्ण सत्या गायत्री रोहिणीपुरम, थाना डी. डी नगर, रायपुर छ0ग0 **बनाम** 1. आकांक्षा शर्मा पिता शिवराम प्रसाद शुक्ला, निवीस म0नं0 36, गीतांजली विहार, नेहरू नगर, बिलासपुर, 2. प्रशांत दुबे पिता गोपाल प्रसाद दुबे, 3. समीक्षा दुबे पिता प्रशांत दुबे, दोनो स्थायी पता–ए 6, नेहरू नगर, बिलासपुर, वर्तमान पता फ्लैट नं0 108, गरुणा ब्ला सम बसावंतपुरा रोड, के0 आर0 पुरम बैंगलुरु, 4. मयंक शेखर पिता अनिल शर्मा, सीनियर मैनेजर, यूको बैंक, आवाबाई शॉपिंग सेंटर हालर, कास रोड बुलसर, जिला वलसाड, गुजरात, 5. शिवराम प्रसाद शुक्ल पिता स्व0 श्याम सुंदर निवासी म0नं0 36, गीतांजली विहार, नेहरू नगर, बिलासपुर (छ0ग0)

अपंजीकृत

अभिनव शर्मा बनाम आकांक्षा शर्मा वगै

Witness No.--- 01	For -- प्रारंभिक साक्ष्य
Deposition taken the---10-03-2021 day of-----बुधवार	Witness's apparent age--32 वर्ष
tates on affirmation -my Name is श्री अभिनव शर्मा	s/of श्री आनंद शर्मा
occupation-- कुछ नही।	Address- डी.डी. नगर रायपुर छ.ग.

समय 11:31 से प्रारंभ

1. मै आरोपीगण को जानता हूँ आरोपी कमांक 01 मेरी पत्नि है। प्रशांत दुबे आरोपी कमांक 2 उसका जीजा है। आरोपी कमांक 03 उसकी बहन है। आरोपी कमांक 04 उसका भाई है। आरोपी कमांक 05 उसका पिता है।

2. मेरा विवाह आरोपिया के साथ दिनांक 04.02.2018 को रायपुर में संपन्न हुआ था विवाह के पश्चात रायपुर में मेरे घर में हम लोगों ने दांपत्य जीवन का निर्वहन किया एक सप्ताह रहने के पश्चात हम लोग मुंबई चले गये क्योकि मै वहां नौकरी करता था। मुंबई में भी हम लोग स्वस्थ विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे थे और दामपत्य संबंध का निर्वहन कर रहे थे। हनीमुन के लिए जयपुर गये थे।

3. मेरे ऑफिस जाने के पश्चात आरोपियां दिन भर घर में रहती थी और घर का कोई काम नही करती थी। दिन भर मोबाईल में बाते करती थी । मैने उसका मोबाईल चेक किया तो उसने बोर्नविटा के नाम से एक नंबर सेफ कर रखा था जिस पर वह प्रत्येक दिवस घंटो बातों करती थी मेरे द्वारा पूछने पर वह अत्यधिक नाराज हो जाती थी। मेरे द्वारा उस नंबर का पता किया तो मुझे पता चला कि वह उसके पुराने डॉ0 दोस्त का है जिसका नाम विवेक उपाध्याय है। और पता करने पर मुझे पता चला कि विवाह के पूर्व से दोनो क प्रेम संबंध थे और इसीलिए वह मुझे बिलासपुर चलकर रहने के लिए दबाव बनाती थी मै जॉब के सिलसिले में कनाडा जाना चाहता था और वह नही जाना चाहती थी इसी बात पर हम लोगों के लडाई झगडा होना शुरू हो गया।

4. उसने मेरे ऑफिस में मेरे सहयोगी जीनल व्यास को मई 2019 में फोन किया और उससे कहा कि अभिनव समलैंगिक है तथा विवाह नही करना चाहता था तथा घर वालो के दबाव में आकर दुनिया को दिखाने के लिए शादी किया है,

दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

0नं0 8930/21, सत्यप्रतिलिपि, दांडिक प्रकरण कमांक–3296/21, पेशी दिनांक–28.10.21

न्यायालय–श्री पवन कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ0ग0)

पक्षकार– अभिनव शर्मा पिता आनंद शर्मा, स्थायी निवासी–प्लाट नं0 8, कृष्ण सखा सोसायटी रोहिणीपुरम, थाना डी. डी नगर, रायपुर छ0ग0 **बनाम** 1. आकांक्षा शर्मा पिता शिवराम प्रसाद शुक्ला, निवीस म0नं0 36, गीतांजली विहार, नेहरू नगर, बिलासपुर, 2. प्रशांत दुबे पिता गोपाल प्रसाद दुबे, 3. समीक्षा दुबे पिता प्रशांत दुबे, दोनो स्थायी पता–ए 6, नेहरू नगर, बिलासपुर, वर्तमान पता फ्लैट नं0 108, गरूणा ब्ला सम बसावंतपुरा रोड, के0 आर0 पुरम बेंगलुय, 4. मयंक शेखर पिता अनिल शर्मा, सीनियर मैनेजर, यूको बैंक, आवाबाई शॉपिंग सेंटर हालर, कास रोड बुलसर, जिला वलसाड, गुजरात, 5. शिवराम प्रसाद शुक्ल पिता स्व0 श्याम सुंदर निवासी म0नं0 36, गीतांजली विहार, नेहरू नगर, बिलासपुर (छ0ग0)

अपंजीकृत

अभिनव शर्मा बनाम आकांक्षा शमा वगै

Witness No.--- 01	For -- **प्रारंभिक साक्ष्य**
Deposition taken the---**10-03-2021** day of-----**बुधवार**	Witness's apparent age--32 **वर्ष**
tates on affirmation -my Name is **श्री अभिनव शर्मा**	f/0f **श्री आनंद शर्मा**
occupation-- कुछ नही।	Address- डी.डी. नगर रायपुर छ.ग.

समय 11:31 से प्रारंभ

1. मै आरोपीगण को जानता हूँ आरोपी कमांक 01 मेरी पत्नि है। प्रशांत दुबे आरोपी कमांक 2 उसका जीजा है। आरोपी कमांक 03 उसकी बहन है। आरोपी कमांक 04 उसका भाई है। आरोपी कमांक 05 उसका पिता है।

2. मेरा विवाह आरोपियां के साथ दिनांक 04.02.2018 को रायपुर में संपन्न हुआ था विवाह के पश्चात रायपुर में मेरे घर में हम लोगों ने दांपत्य जीवन का निर्वहन किया एक सप्ताह रहने के पश्चात हम लोग मुंबई चले गये क्योकि मै वहां नौकरी करता था। मुंबई में भी हम लोग स्वस्थ विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे थे और दामपत्य संबंध का निर्वहन कर रहे थे। हनीमुन के लिए जयपुर गये थे।

3. मेरे ऑफिस जाने के पश्चात आरोपियां दिन भर घर में रहती थी और घर का कोई काम नही करती थी। दिन भर मोबाईल में बाते करती थी । मैने उसका मोबाईल चेक किया तो उसने बोर्नविटा के नाम से एक नंबर सेफ कर रखा था जिस पर वह प्रत्येक दिवस घंटो बातों करती थी मेरे द्वारा पूछने पर वह अत्यधिक नाराज हो जाती थी। मेरे द्वारा उस नंबर का पता किया तो मुझे पता चला कि वह उसके पुराने डॉ0 दोस्त का है जिसका नाम विवेक उपाध्याय है। और पता करने पर मुझे पता चला कि विवाह के पूर्व से दोनो क प्रेम संबंध थे और इसीलिए वह मुझे बिलासपुर चलकर रहने के लिए दबाव बनाती थी मै जॉब के सिलसिले में कनाडा जाना चाहता था और वह नही जाना चाहती थी इसी बात पर हम लोगों के लडाई झगडा होना शुरु हो गया।

4. उसने मेरे ऑफिस में मेरे सहयोगी जीनल व्यास को मई 2019 में फोन किया और उससे कहा कि अभिनव समलैंगिक है तथा विवाह नही करना चाहता था तथा घर वालो के दबाव में आकर दुनिया को दिखाने के लिए शादी किया है,

A Sharma

प्रतिलिपि अनुभाग

वह गे है तथा विवाह के पश्चात से लेकर हमारे बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ है। उसकी यह बातें जीनल व्यास के अलावा ऑफिस के अन्य लोगों ने भी सुनी उसने यही बातें मेरे अन्य ऑफिस स्टाफ वरूण शर्मा और स्वेता कोठारी और गुंजन शर्मा को भी कही उसके इन झुठे आरोपो से ऑफिस में अपने सहयोगियो के मध्य मेरी छबी अत्यंत खराब हो गई और वे मुझे हेय दृष्टि से देखने लगे मेरा मजाक उडाने लगे तथा उनकी नजर में मै मजाक की वस्तु बन गया था वे मेरी ईज्जत करना बंद कर दिये मेरे साथ खाना खाना बंद कर दिये जब मैने अपनी पत्नि से इस संबंध में बात की तो उसने कहा कि मुझे अपने दोस्त विवेक उपाध्याय के साथ अस्पताल खोलना है तुम मुझे 25,00000/– रू0 नही दोगे तो मै तुम्हे इसी तरह बदनाम कर तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी।

5. उसके द्वारा घर में रात को शराब पीकर हंगामा किया जाता था उसने मेरे मकान मालिक को भी फोन करके यह कहा कि अभिनव समलैंगिक है व उसके पास लड़के आते है जिसके कारण मकान मालिक ने मुझे मकान खाली करने के लिए कहा और मुझे मकान खाली करना पडा ऑफिस में मेरे विरूद्व झुठे एवं अपमान जनक आरोप लगाने के कारण ऑफिस में मेरी छबी अत्यंत खराब हो गई थी कोई मुझसे बात नही करता था जिस कारण मजबूरी में मुझे अपनी नौकरी छोडनी पडी जून 2019 में उसने मेरे ऑफिस एचआर मैनेजर को भी फोन कर मेरे खिलाफ झुठे एवं गंदे आरोप लगाये थे।

6. आरोपियां तथा अन्य आरोपीगण द्वारा विभिन्न दिनांकों में वर्ष 2019 में मेरे माता पिता और मेरे जीजा को फोन करके यह झुठे एवं गंदे आरोप लगाये की अभिनव समलैंगिक है आपने जबरदस्ती उसकी शादी कराई है हम आप लोगों को बरबाद कर देंगे तथा मेरे जीजा के दोस्त विवेक एवं अन्य रिस्तेदारों और पडोसियों को भी मेरे विरूद्व गंदे आरोप लगाकर मेरी छबी को खराब किया गया जिस कारण नाते रिस्तेदारों के मध्य दोस्तो एवं पडोसियों के मध्य मेरे तथा मेरे परिवार की छबी अत्यंत खराब हो गई हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नही रहे।

7. आरोपीगण के द्वारा मेरे विरूद्व लगाये गये झुठे आरोपो से मेरी सामाजिक छबीं बरबाद हो गई मेरी नौकरी छुट गई मै सोच सोच कर बीमार हो गया मेरे

स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडा उनके द्वारा पुलिस को बोलकर मेरा मुलाहिजा करवाया गया जहां अस्पताल में 10–12 लोगों के समक्ष मुझें नंगा किया गया और मुझसे अश्लील और अपमान जनक व्यवहार किया गया किन्तु डॉक्टरी परीक्षण में डॉक्टर ने मुझें स्वस्थ एवं सक्षम पाया है तथा शारीरिक संबंध बनाने के योग्य पाया है मैने मुंबई के लीलावती अस्पताल में भी इस संबंध में जांच कराई थी वहां पे भी मुझे फिट पाया गया और शारीरिक संबंध बनाने हेतु योग्य पाया गया।

8. मै आरोपीगण के विरूद्व कार्यवाही चाहता हूँ इसलिए मैने यह परिवाद प्रस्तुत किया है ताकि उन्हें दंडित किया जाय।

समय 11:55 बजे समाप्त।

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया गया,
उसने सही होना स्वीकार किया ।

(पवन कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

मेरे निर्देशन मे टंकित
किया गया।

(पवन कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

न्यायालय–श्री पवन कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ0ग0)

पक्षकार– अभिनव शर्मा पिता आनंद शर्मा, स्थायी निवासी–प्लाट नं0 8, कृष्ण सखा सोसायटी रोहिणीपुरम, थाना डी. डी नगर, रायपुर छ0ग0 **बनाम** 1. आकांक्षा शर्मा पिता शिवराम प्रसाद शुक्ला, निवीास म0नं0 36, गीतांजली विहार, नेहरू नगर, बिलासपुर, 2. प्रशांत दुबे पिता गोपाल प्रसाद दुबे, 3. समीक्षा दुबे पिता प्रशांत दुबे, दोनो स्थायी पता–ए 6, नेहरू नगर, बिलासपुर, वर्तमान पता फ्लैट नं0 108, गरूणा ब्ला सम बसावंतपुरा रोड, के0 आर0 पुरम बेंगलुय, 4. मयंक शेखर पिता अनिल शर्मा, सीनियर मैनेजर, यूको बैंक, आवाबाई शॉपिंग सेंटर हालर, कास रोड बुलसर, जिला वलसाड, गुजरात, 5. शिवराम प्रसाद शुक्ल पिता स्व0 श्याम सुंदर निवासी म0नं0 36, गीतांजली विहार, नेहरू नगर, बिलासपुर (छ0ग0)

अभिनव शर्मा बनाम आकांक्षा शमा वगै

अपंजीकृत

Witness No.--- 02	
Deposition taken the---10-03-2021 day of-----**बुधवार**	For -- **परिवादी साक्ष्य**
	Witness's apparent age--31 **वर्ष**
tates on affirmation -my Name is **श्री जीनल व्यास**	s/of **श्री शैलेष व्यास**
occupation-- प्राईवेट नौकरी	Address- आदित्य पार्क 16 नंबर सीएस रोड, दहीसर ईस्ट मुंबई

समय 12:05 से प्रारंभ

1. मैं परिवादी को जानती हूँ आरोपी कमांक 01 उसकी पत्नि है उसे भी जानती थी।

2. परिवादी का विवाह आरोपियां के साथ दिनांक 04.02.2018 को रायपुर में संपन्न हुआ था मै भी रायपरु में विवाह में सम्मिलित हुई थी दोनो रायपुर में एक सप्ताह रहने के बाद मुंबई आकर दांपत्य जीवन का निर्वहन करने लगे मेरा तथा हमारे अन्य स्टाफ का परिवादी का घर आना जाना होता था।

3. आकांक्षा ने मेरे ऑफिस में मुझको मई 2019 में फोन किया और उससे कहा कि अभिनव समलैंगिक है तथा विवाह नही करना चाहता था तथा घर वालो के दबाव में आकर दुनिया को दिखाने के लिए शादी किया है, वह (गे) है। तथा विवाह के पश्चात से लेकर हमारे बीच में कोई शारीरिक संबंध नही हुआ है। उसकी यह बातें मेरे आलावा ऑफिस के अन्य लोगों ने भी सुनी उसने यही बातें मेरे ऑफिस के स्टाफ वरूण शर्मा और स्वेता कोठारी और गुंजन शर्मा को भी कही हमने उससे कहां कि तुम क्यो झुठ बोल रही हो और क्यो झुठे आरोप लगा रही हो तो उसने मुझसे कहा कि तुम भी लैसबियन हो कहकर उसने मुझे भी अपमानित किया आकांक्षा की बातें सुनकर उसके इन झुठे आरोपो से ऑफिस में अपने सहयोगियो के मध्य अभिनव की छबी अत्यंत खराब हो गई और हम लोग उसे हेय दृष्टि से देखने लगे तथा ऑफिस में उसका मजाक उडाने लगे हमारी नजर में वह मजाक की वस्तु बन गया था हम लोग उसकी ईज्जत करना बंद कर दिये तथा उसके साथ खाना खाना बंद कर दिये। तथा उससे बात चीत भी नही करते थे।

Jinalvyas

कार्यालय जिला [illegible]
प्रतिलिपि अनुभाग
रायपुर (छ.ग.)

4. ऑफिस में हम लोगो के व्यवहार से दुखी होकर उसने नौकरी छोड़ दी आकांक्षा ने अपने मकान मालिक को भी फोन करके बताया था कि अभिनव समलैंगिक है और अभिनव पर गंदे इल्जाम लगाये थे मकान मालिक के द्वारा मुझे फोन करके सारी बातें बताई गई थी। आकांक्षा द्वारा मुझसे फोन पर जब भी अभिनव के बारे में झुठे और गंदे इल्जाम के बारे में बात की गई है मैंने उसकी रिकार्डिंग तारीख के अनुसार अभिनव को दी है।

5. बाद में हम लोगों को पता चला कि आकांक्षा शराब पीकर हंगामा करती थी उसका विवाह पूर्व से कोई संबंध था इसलिए वह अभिनव से पीछा छुड़ाने के लिए और उससे मोटी रकम लेने के लिए झुठे और गंदे इल्जाम लगाकर बदनाम करती थी अभिनव द्वारा लीलावती हास्पीटल में अपना मेडिकल परीक्षण भी कराया गया था जिसके बारे में उसे हम लोगों को बताया था लेकिन उसकी पत्नि के द्वारा लगाये गये गंदे इल्जामों के कारण उसकी ईमेज पूरी तरह खत्म हो गई थी और पहले हम लोग उसकी जितनी इज्जत करते थे बाद मे इल्जाम सुनकर नही करते थे जिस कारण वह खुद को दुखी और अपमानित महसूस करता था। आकांक्षा ने हमारे एचआर मैनेजर को फोन करके अभिनव के विरुद्ध झुठे और गंदे इल्जाम लगाए जिस कारण एचआर द्वारा अभिनव को बहुत अपमानित किया गया था।

समय 12:15 बजे समाप्त।

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया गया, उसने सही होना स्वीकार किया।

(पवन कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

मेरे निर्देशन मे टंकित किया गया।

(पवन कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

सत्य-प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार,
जिला एवं सत्र न्यायालय
रायपुर, (छ.ग.)

1. Application Received on [illegible]
2. Applicant told to appeared on [illegible]
3. Applicant appeared on [illegible]
4. Appliation (With or without further or correct particulars, sent to Record Room) on [illegible]
5. Application received from Record Room (with record or without record or without record for further or correct particulars) on [illegible]
6. Applicant given notice for further or correct particulars on [illegible]
7. Applicant Given notice for further funds on [illegible]
8. [illegible]
9. Copy ready on [illegible]
10. Copy [illegible]

प्रकरण क्रमांक–3296/21, पेशी दिनांक–28.10.21

न्यायालय–श्री पवन कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ0ग0)

पक्षकार– अभिनव शर्मा पिता आनंद शर्मा, स्थायी निवासी–प्लाट नं0 8, कृष्ण सखा सोसायटी रोहिणीपुरम, थाना डी डी नगर, रायपुर, छ0ग0 **बनाम** 1. आकांक्षा शर्मा पिता शिवराम प्रसाद शुक्ला, निवास म0नं0 36, गीतांजली विहार, नेहरू नगर, बिलासपुर, 2. प्रशांत दुबे पिता गोपाल प्रसाद दुबे, 3. समीक्षा दुबे पिता प्रशांत दुबे, दोनो स्थायी पता–ए 6, नेहरू नगर, बिलासपुर, बर्तमान पता फ्लैट नं0 108, गरूणा ब्ला सम बसावंतपुरा रोड, के0 आर0 पुरम बेंगलुय, 4. मयंक शेखर पिता अनिल शर्मा, सीनियर मैनेजर, यूको बैंक, आवाबाई शॉपिंग सेंटर हालर, कास रोड बुलसर, जिला वलसाड, गुजरात, 5. शिवराम प्रसाद शुक्ल पिता स्व0 श्याम सुंदर निवासी म0नं0 36, गीतांजली विहार, नेहरू नगर, बिलासपुर (छ0ग0)

अभिनव शर्मा बनाम आकांक्षा शर्मा वगै अपंजीकृत

Witness No.--- 03	For -- **प्रारंभिक साक्ष्य**
Deposition taken the---**10-03-2021** day of-----**बुधवार**	Witness's apparent age--34 **वर्ष**
States on affirmation -my Name is **श्री दीपक वर्मा**	f/0f **श्री नरेन्द्र वर्मा**
occupation-- प्रेस कर्मचारी	Address- चंगोरा भाठा रायपुर

समय 12:15 से प्रारंभ

1. मै परिवादी को जानता हूँ। उसका जीजा जी मेरा बहूत अच्छा दोस्त है। मै अभिनव की पत्नि आकांक्षा को भी जानता हूँ मै दोनो के विवाह में शामिल हुआ था।

2. माह अप्रैल, मई 2019 की बात है मै अपने मित्र दुर्गा तिवारी के साथ बैठा हुआ था। उसी समय उसको फोन आया उधर से अभिनव की पत्नि आकांक्षा बात कर रही थी। वह जोर जोर से बात करते हुऐ अभिनव पर यह आरोप लगा रही थी कि वह नपुंसक है समलैंगिक है तुम लोगो ने उससे मेरा विवाह कराकर मेरा जीवन खराब कर दिया है मै तुम लोगो को जेल करवा दूँगी। दुर्गा तिवारी ने उससे कहा कि ऐसा कुछ नही तुम क्यो झुठे आरोप लगा रही हो वह तुम्हारे साथ वैवाहिक जीवन निभा रहा है। किन्तु वह बात नही मान रही थी और तुम लोग झुठ बोलते हो कह रही थी।

3. मेरे समक्ष एक बार और फोन आया था जो कि शायद अभिनव के ससुर का था। वह भी यही बातें कह रहा था कि तुम लोगो ने मेरी बेटी का जिंदगी खराब कर दी तुम्हारा लडका नपुंसक है समलैंगिक है तुम सब को जेल भेजवा दूँगा। मुझे उक्त बाते सुनकर बहूत खराब लगा। मेरी नजर में आवेदकगण की छबी खराब हूई है। बाद में मुझे अभिनव के जीजा मिले थे तब मैने पूछा कि आप लोगो का मामला चल रहा था उसका क्या हुआ तब उन्होने बताया कि अभिनव का मेडिकल टेस्ट कराया था मेडिकल टेस्ट में पूर्णतः फिट पाया गया। तब मुझें पता चला कि उनके द्वारा लगाया गया आरोप झुठे है।

समय 11:55 बजे समाप्त।

सत्य-प्रतिलिपि

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया गया, उसने सही होना स्वीकार किया।

(पवन कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

मेरे निर्देशन मे टंकित किया गया।

(पवन कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

मुख्य प्रतिलिपिकार, जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर (छ.ग.)

2 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA

प्रकरण क्रमांक–3296/21, पेशी दिनांक–28.10.21

न्यायालय–श्री पवन कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ0ग0)

पक्षकार– अभिनव शर्मा पिता आनंद शर्मा, स्थायी निवासी–प्लाट नं0 8, कृष्ण सखा सोसायटी रोहिणीपुरम, थाना डी डी नगर, रायपुर [redacted] छ0ग0 **बनाम** 1. आकांक्षा शर्मा पिता शिवराम प्रसाद शुक्ला, निवास म0नं0 36, गीतांजली विहार, नेहरू नगर, बिलासपुर, 2. प्रशांत दुबे पिता गोपाल प्रसाद दुबे, 3. समीक्षा दुबे पिता प्रशांत दुबे, दोनो स्थायी पता–ए 6, नेहरू नगर, बिलासपुर, वर्तमान पता फ्लैट नं0 108, गरूणा ब्ला सम बसावंतपुरा रोड, के0 आर0 पुरम बेंगलुर, 4. मयंक शेखर पिता अनिल शर्मा, सीनियर मैनेजर, यूको बैंक, आवाबाई शॉपिंग सेंटर हालर, कास रोड बुलसर, जिला वलसाड, गुजरात, 5. शिवराम प्रसाद शुक्ल पिता स्व0 श्याम सुंदर निवासी म0नं0 36, गीतांजली विहार, नेहरू नगर, बिलासपुर (छ0ग0)

अभिनव शर्मा बनाम आकांक्षा शर्मा वगै

अपंजीकृत

Witness No.--- 04	For -- प्रारंभिक साक्ष्य
Deposition taken the---10-03-2021 day of-----बुधवार	Witness's apparent age--34 वर्ष
states on affirmation -my Name is श्री दुर्गा प्रसाद	s/of श्री अमृत लाल
occupation-- प्राईवेट नौकरी	Address- भिलाई सेक्टर 1 जिला दुर्ग

समय 12:30 से प्रारंभ

1. मै परिवादी को जानता हूँ। वह मेरा साला है। आरोपीगण को भी जानता हूँ वह परिवादी के पत्नि व ससुराल वाले है।

2. माह अप्रैल, मई 2019 की बात है मै अपने मित्र दीपक वर्मा के साथ बैठा हुआ था। उसी समय मुझको फोन आया उधर से अभिनव की पत्नि आकांक्षा बात कर रही थी। वह जोर जोर से बात करते हुऐ अभिनव पर यह आरोप लगा रही थी कि वह नपुंसक है समलैंगिक है, तुम लोगो ने उससे मेरा विवाह कराकर मेरा जीवन खराब कर दिया है मै तुम लोगो को जेल करवा दूँगी। मैने ने उससे कहा कि ऐसा कुछ नही तुम क्यो झुठे आरोप लगा रही हो वह तुम्हारे साथ वैवाहिक जीवन निभा रहा है। किन्तु वह बात नही मान रही थी और तुम लोग झुठ बोलते हो कह रही थी।

3. मुझे अभिनव के ससुर का माह मई 2019 में एक बार और फोन आया था तब मै अपने मित्र के साथ बैठा था। फोन अभिनव के ससुर का था। वह भी यही बातें कह रहा था कि तुम लोगो ने मेरी बेटी का जिंदगी खराब कर दी तुम्हारा लडका नपुंसक है समलैंगिक है तुम सब को जेल भेजवा दूँगा। मुझे उक्त बाते सुनकर बहूत खराब लगा। उनके झुठे और गंदे आरोपो से अभिनव की नौकरी चली गई मकान मालिक ने उसको अपने मकान से निकाल दिया। और बिलासपुर तथा रायपुर में हमारे जितने भी नाते रिस्तेदार और जान पहचान के लोग है उनकी नजर में अभिनव और उसके परिवार की छबी खराब हुई है। उनकी मानहानि हुई लोगो ने अपमानित करने लगे बाद में हम लोगों ने अभिनव का मेडिकल परीक्षण कराया था वह मेडिकली पूरी तरह फिट है और शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम इस बात को बिलासपुर के शासकीय अस्पताल के डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया गया कि अभिनव पूरी तरह सक्षम है।

दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY COURT FEE INDIA Rs.2

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रतिलिपि अनुभाग
रायपुर (छ.ग.)

आरोपीगण अपने झुठे और गंदे आरोपों को न्यूज पेपर में छपवाने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताडित करते थे उनके द्वारा लगाये गये आरोपों के कारण अभिनव और उसके परिवार की सामाजिक प्रतीष्ठा खत्म हो गई और पहले जो समाज में उनकी इज्जत थी वह नही रही। वे 25,00000/– रू0 के डिमांड करते थे। आरोपीगण जब भी मिलते थे इसी तरह के गंदे आरोप लगाकर धमकीयां दिया करते थे और बदनाम करते थे।

समय 12:40 बजे समाप्त।

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया गया,
उसने सही होना स्वीकार किया ।

(पवन कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

मेरे निर्देशन मे टंकित
किया गया।

(पवन कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

सत्य-प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार,
जिला एवं सत्र न्यायालय
रायपुर (छ.ग.)

1. Application Received on
2. Applicant told to appeared on
3. Applicant appeared on
4. Appliation (With or without further or correct particulars sent to Record Room) on
5. Application received from Record Room (with recard or without record or without record for further or correct particulars) on
6. Applicant given notice for further or correct particulars on
7. Applicant Given notice for further funds on
8. Notice column 6 or 7 compil
9. Copy ready on
10. Copy delivered or sent on
11. Court fees realised